

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
फोन नं०-0135-2608105, फैक्स नं०-0135-2608108

संख्या /अधि०/दो-51/2014

दिनांक 25 जून, 2014

-कार्यालयादेश-

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्पेशल अपील संख्या-421/2013 श्री ज्योतिशंकर मिश्र व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 24-04-2014 के अनुपालन में परिवहन कर अधिकारी-2 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में संशोधन किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालयादेश संख्या-642/अधिष्ठान/दो-21(3)/2013 दिनांक 12-11-2013 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(एस० रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या 746 (1)/अधि०/दो-51/2014 समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित परिवहन कर अधिकारी-2 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 4- अधिष्ठान पत्रावली।
- 5- ज्येष्ठता पत्रावली।
- 6- गार्ड फाईल।



(एस० रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।